FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड [illegible] SDO मुकाम बायतु

[illegible] वगैरह बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा 111,128 [illegible] नं. 18/2020 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.2020	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री नरपतसिंह ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 111,128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/02/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
12/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल होकर तामिल प्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/03/2020 को पेश हो। [initials]	
03/03/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल ~~[illegible]~~ शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल गैरहाजिर। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 08/04/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:34:18 IST
Reason: SelfAttested

08/04/2020 पत्रावली आज पेश हुई, कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जिला कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलतवा होकर आगामी दिनांक 10/06/2020 को पेश हो।

10/06/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत के बीच जो पुरानी मेड़े व कांटे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से मिट गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढ़ों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढ़ों को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत के सेढ़ों का सही ज्ञान करने हेतु नैयमबनी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नैयमबनी आवेदन स्वीकार किया जाकर नैयमबनी आदेश दिया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नैयमबनी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नैयमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
10.6.2020

...कलक्टर
...) बायतु

सेवामें

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:34:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 387 दिनांकः– 10.06.2020

राजस्व आवेदन संख्या –18 / 2020

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री नैनाराम पुत्र लाधुराम वगैरा 4 जाति–मेगवाल,
निवासी–बोड़वा,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

श्री जगुराम पुत्र टीकमाराम वगैरा 14

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बोड़वा पटवार हल्का बोड़वा के खेत खसरा नम्बर 678 / 396 रकबा 93.07 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः–

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 387

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नैनाराम पुत्र लाधुराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थीगण श्री जगुराम पुत्र टीकमाराम वगैरा 14।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

10.6.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:34:18 IST
Reason: SelfAttested